बिहार राज्य धार्मिक न्यास व अन्य

बनाम

विश्वनाथ प्रसाद लोहिया व अन्य

सितंबर 14,2007

[न्यायमुर्ति एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी,]

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950-धारा 29 (2) के तहत अधिसुचना -उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुएरद्द की गई किअधिसूचना धारा 29 (2) के अनुसार नही और उसी प्रश्न से संबंधित दीवानी मुकदमा विचाराधीन-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय का यह निष्कर्षसही कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि नोटिस धारा29 (2) के तहत दिए गए थे।– दीवानी न्यायालय में उसी विवाद्यक के संबंध में दीवानी मुकदमालंबित, इस प्रकार, अपीलों को खारिज किया जाता है लेकिन लंबित मामलों के अंतिम निपटारे तक यथास्थिति बनाये रखे।

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत अधिसूचना जारी की गई , जिसके द्वारान्यास विलेख के आधार पर समिति का गठन किया गया ।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिसूचना धारा 29 (2) के संदर्भ में नहीं थी;

कीधारा 32 के तहत स्कीम विधी के अनुसार नहीं थी; और यह कि उसी प्रश्न से जुड़ा दीवानी मुकदमा विचाराधीन था, और अधिसूचना को रद्द कर दिया। अतः ये अपीलें।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. समिति को अधिक्रमण प्रस्तावित करते हुएदिया गया नोटिस बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 29 (2) और धारा 32 के तहत एक मिश्रीत नोटिस है। उच्च न्यायालय dk निष्कर्ष कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्यनहीं था कि नोटिस धारा 29 (2) के तहत दिए गए थे, गंभीरता से चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यास की वैधता के संबंध में दीवानी मुकदमा दीवानी न्यायालय में लंबित है। यह निर्देश दिया जाता है कि आज जैसी विद्यमान स्थितीकी यथास्थिति मामलों के निपटारे तक बनी रहेगी। [पैरा 3] [956-ए, बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः 2000 की सिविल अपील सं. 5880

1991 के सं. 3510 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 27.9.1991 से।

बी. रोहतगी, अपर्णा रोहतगी और एस. के. ढींगरा-अपीलार्थी के लिए

एच. एल. अग्रवाल, इरशाद अहमद और लक्ष्मी रमन सिंह-प्रत्यर्थीगण के लिये

न्यायालय का निर्णय न्यायमुर्ति हरजीत सिंह बेदी के द्वारा दिया गया

1. यह अपील बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास व अन्य द्वारा पटना उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांकीत 27.9.1991 को आक्षेपित करते हुए पेश की गई है जिसके द्वारा बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है)की धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत जारी की गई अधिसूचना को रद्द किया गया है, जिसके द्वारा न्यास विलेखदिनांकित 26.09.1983 के आधार परसमिति का गठन कियाजाना बताया गया है।

2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत अपेक्षित नोटिस समिति को उसके अधिक्रमण से पहले जारी किया गया था और इस प्रकार आलोच्य निर्णय जिसके द्वारा विपरीत अभिनिर्धारण किया गया हैसही नहीं था। हालाँकि हम पाते हैं कि समिति कोअधिक्रमण प्रस्तावित करते हेतु दिया गया नोटिस अधिनियम की धारा 29 (2) और धारा 32 के तहत एक feJhr नोटिस है। उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गयाहै कि उक्त अधिसूचना (अनुलग्नक-3) दिनांकीत 5 अगस्त 1989 अधिनियम के धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार या संबंध में नहीं थी और स्कीम के मापदंडों को भी पूरा नहीं करती थी जिन्हें बाद में धारा 32 के तहत तैयार किया गया था।उच्च न्यायालय के समक्षसुनवाई के दौरान यहभी आया की

दीवानी मुकदमा सं. 207/1986 जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने की मांग कि न्यास विलेखदिनांकित 26 सितंबर 1983 एक शुन्य दस्तावेज था और साथ ही कई अन्य मुद्देविचारण के लिए लंबित थे। खण्ड पीठ ने राय दी कि चूंकि मामला सिविल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए सिविल कोर्ट के समक्ष उठाए गए प्रश्नों पर विचार किया जाना आवश्यक या उचित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक उपरोक्त अधिसूचना का संबंध है, यह समिति को उचित सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत जारी किया गया था और अधिनियम की धारा 32 के तहत स्कीम विधी अनुसार नहीं होने के कारण रद्द करने योग्य थी। इस स्थिति में बोर्ड द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया और विशेष रूप सेसमिति को उसके अधिक्रमण से पहले कथित रूप से दिए गए नोटिस और अधिनियम की धारा 32 के तहत बनाई गई योजना। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं कि ऐसी कोई साक्ष्यनहीं थी जो यह दर्शित करती हो कि धारा 29 (2) के तहत नोटिस दिए गए थे, उन्हें गंभीरता से चुनौती नहीं दी जा सकती है। हम यह भी पाते हैं कि न्यास की वैधता के संबंध में दीवानी मुकदमा दीवानी न्यायालय में लंबित है। हम तदनुसार अपीलों को खारिज करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुएयह निर्देश देते हैं कि अपीलों के निपटारे तक आज की यथास्थिति जारी रहेगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि

समिति को धारा 29 (2) के तहत एक नया हेतुक दर्शित नोटिस दिया जाएगा और दोनों पक्ष नोटिस की तामील से चार महीने के भीतर बोर्ड के समक्ष अपने दस्तावेज पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे और यथास्थिति जो आज मौजूद है, अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत कार्यवाही में बोर्ड द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी।

4. अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

5. दीवानी अपील सं. 5879/2000 का निपटारा सिविल अपील सं. 5880/2000 के निर्णय के संदर्भ में किया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

एन. जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जफर अहमद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।